URGENT

राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
सचिवालय, जयपुर

क्रमांक: क्षे.प्र./कोरोना जागरूकता/2020/ 18617-67 जयपुर, दिनांक 24/08/2020

जिला कलक्टर (समस्त)

उप निदेशक/सहायक निदेशक/जन सम्पर्क अधिकारी,
जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय (समस्त)

विषयः– कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु जागरूकता अभियान–II।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड–19) संक्रमण को महामारी (Pandemic) घोषित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा करोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं इससे बचाव के लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों से आमजन को मास्क पहनने, नियमित रूप से हाथ धोने, सेनेटाइजर का उपयोग करने एवं सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखने के प्रति जाग्रत किया जा रहा है। लॉकडाउन खुलने के फलस्वरूप प्रदेश में गत दिनों करोना वायरस संकमण के बढ़ते मामलों को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 21 जून से 07 जुलाई, 2020 तक विशेष अभियान चलाया गया था।

साथ ही 01 जुलाई, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक जिला स्तरीय कोरोना जागरूकता संबंधित प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। अन्य प्रचार–प्रसार माध्यमों के रूप में इस विभाग एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ऑटो रिक्शा/साईकिल रिक्शा/थ्री व्हीलर/टिपर पर माईक के माध्यम से भी कोरोना जागरूकता संबंधित अभियान चलाया गया।

कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के क्रम में आमजन को जागरूक किया जाना महत्वपूर्ण उपाय है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जागरूकता अभियान को फेज–II के रूप में चलाकर इस महामारी के प्रति आमजन में जागरूकता फैलाने का निर्णय लिया गया है ताकि इस महामारी के लगातार संक्रमण पर काबू पाया जा सके। कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु जागरूकता अभियान–II को भी राज्य के प्रत्येक गांव–ढाणियों, वार्डो एवं मौहल्लो तक चलाया जाकर लोगो को इस महामारी से बचाव के प्रति विभिन्न माध्यमों से जागरूक किये जाने का निर्णय लिया गया।

लॉकडाउन में लगातार छूट के बाद शुरू हुई व्यवसायिक एवं अन्य गतिविधियों के कारण संक्रमण का खतरा नही रहे और लोग कोरोना को लेकर लापरवाही नही बरते इसी उद्देश्य से यह अभियान चलाया जायेगा। इसमें ग्राम स्तर तक आंगनबाडी सहायिका, ए.एन.एम, आशा सहयोगिनी, सरपंच ग्राम पंचायत, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों के सहयोग से बैनर, पैम्पलेट सहित कोरोना को लेकर जागरूक करने वाली सामग्री घर–घर तक पहुचाई जायेगी। पूरे राज्य में होर्डिंग्स पर फ्लैक्स लगवाए जाने का कार्य मुख्यालय स्तर से करवाया जा रहा है।

Scanned with Cam

कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु जागरूकता अभियान–II को सतत एवं निरंतर अभियान के रूप में चलाया जावेंगा। इस हेतु समय–समय पर दिशा–निर्देश एवं सामग्री भी उपलब्ध करवाई जायेगी। **पत्र के साथ पोस्टर की डिजाईन (jpg and cdr file) ई–मेल के माध्यम से भिजवाई जा रही हैं।**

यह भी निर्णय लिया गया है कि सम्पूर्ण राज्य में एक ही साईज, कलर एवं स्पेशिफिकेशन के पैम्पलेट एवं पोस्टर उपयोग किये जावें। प्रत्येक जिले को प्राथमिक रूप से राशि 50 हजार उपलब्ध करवाई जा रही हैं। **इस राशि से तत्काल पैम्पलेट/पोस्टर छपवाकर अपने जिले में गांव–गांव, ढाणी–ढाणी, मोहल्ले–मोहल्ले तक वितरण सुनिश्चित करें।**

क्र.सं.	पैम्पलेट/पोस्टर की साईज एवं स्पेशिफिकेशन	मात्रा
1	पैम्पलेट ए–4 साईज (साईज 18x25/4 मल्टि कलर प्रिंटिंग 100 जीएसएम आर्ट पेपर)	20000
2	पोस्टर (साईज 18x25/2 130 जीएसएम आर्ट पेपर गमिंग स्ट्रीप (टॉप एण्ड बॉटम) एक्वास कोटिंग, मल्टि कलर प्रिंटिंग)	5000
3	पोस्टर (साईज 18x25 130 जीएसएम आर्ट पेपर गमिंग स्ट्रीप (टॉप एण्ड बॉटम) एक्वास कोटिंग, मल्टि कलर प्रिंटिंग)	2000

समय–समय पर आवश्यकतानुसार अन्य माध्यमों के उपयोग हेतु भी दिशा–निर्देश जारी किये जावेंगे एवं राज्य स्तर से भी तैयार करवाये जा रहे प्रचार सामग्री जिलों को उपलब्ध करवाई जायेगी।

कृपया कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु जागरूकता अभियान–II की महत्ता को समझते हुए जागरूकता अभियान को एक सतत एवं निरंतर अभियान के रूप में ले एवं दिशा–निर्देशों के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित करें एवं आपके द्वारा की गई कार्यवाही से मुख्यालय को अवगत करावें।

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(महेन्द्र सोनी)
आयुक्त

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सूजस।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग।

आयुक्त

Scanned with Can